

[Shrimati Sharda Mukerjee]

and said that an investigating team has gone into it. There is nothing further that can be done. No useful purpose would be served by appointing another committee."

Secondly, the Minister did not agree to laying on the Table of the House the full report of the inquiry committee. Since then some information has come to me and I would request the Minister to go into it.

MR SPEAKER : You must send it to him.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE : The inquiry committee, which inquired into this crash, found that the guillotine cartridge of Group-Captain Das's aircraft was in reverse position. The Minister did not state this in his reply. Since the guillotine cartridge, which is supposed to separate the pilot from the seat when he ejects himself out of the plane, had been tampered with, either this was done out of negligence or it was wilful sabotage.

Thirdly, I would like to point out that Group-Captain Das's aircraft, HF-032, and Squadron Leader Narain's aircraft, HF-001, were cleared by the same inspector. Group-Captain Das's aircraft crashed after a few minutes and the second aircraft crashed 40 minutes after take-off. No inspection records are available of the first aircraft and the inspection records of the second aircraft were seized two days after the crash in spite of the fact that the authorities knew about it in advance.

I would request the Minister, through you, that he should lay on the Table the full findings of the inquiry committee and institute a second inquiry committee. He has misled the House by keeping back from the House the fact that the inquiry committee had mentioned that the guillotine cartridge was in reverse position.

श्री रवि राव (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, हम भी इन का समर्थन करते हैं।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, under rule 377, with your permission I beg to mention the following points for the consideration of the Minister and request him to reply to them.

It has come out in today's *Statesman* and all other leading papers that the membership of the Pay Commission is not to be expanded. It is said that this is because the Government feels that the Commission, which held its first meeting yesterday, is an expert body and not an arbitration board on which different interests are represented. It is a sad commentary on the various assurances given by the Prime Minister either in this House or in the other House. In the other House she made a definite promise that if we could submit a name of a labour representative unanimously, one representative of labour would be accepted as a member of the Commission. On the basis of that assurance, we were going to submit a name unanimously as a labour representative. Now, this is a regrettable thing; it is a matter of shame. Secondly, this Pay Commission has also said about the interim relief, that they will consider...

MR. SPEAKER : There are so many other matters pending. Even if we do not adjourn now, they will be taken up after the lunch. Why not adjourn now? So, we adjourn now for lunch to meet again at 2.30 p.m.

13.21 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till thirty minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at thirty minutes past Fourteen of the Clock.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

MATTERS UNDER RULE 377—Contd.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Banerjee.

श्री बृकमचन्द्र कच्छबाय (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिसको मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा। आपकी ध्यान होगा कि इस देश के अन्दर कई प्रान्तों में हरिजनों पर भयंकर अत्याचार हो रहे हैं। हरिजनों के नाम पर एक कमेटी बनी है, लेकिन उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उन पर इस सदन में कभी चर्चा नहीं हुई। अक्सर यहाँ पर बैठे हुए

हैं लेकिन चर्चा करने देने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं आप की सेवा में एक वाक्य पेश करना चाहता हूँ। एक हरिजन बालक को आन्ध्र प्रदेश में जला दिया गया। उसके हाथ बांधकर (व्यवधान)। जब वह होटल में भोजन करने गया तो उसकी धोती से उसके हाथ पीछे बांध कर मिट्टी का तेल डालकर उसको जलाया गया है। (व्यवधान) आज हरिजनों पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। 16 व्यक्तियों को जलाया गया है... मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस पर यहाँ चर्चा होगी या नहीं? अगर यहाँ चर्चा नहीं होगी और इस तरह के अत्याचार होते रहे तो हम इसको बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं। आज इस चीज पर चर्चा होनी ही चाहिए। आप मंत्री महोदय से कहें कि वह चर्चा होने दें।

MR. DEPUTY SPEAKER : The trouble is that Members do not listen to Chair at all. Mr. Suraj Bhan has written to me about the same question and I have agreed to allow him time, but nobody listens to the Chair. Since you have raised it, Mr. Suraj Bhan will finish it.

श्री तुकम चन्द कछवाय : सरकार की नियत खराब है, सरकार इस पर चर्चा करना नहीं चाहती। पेरूमल कमेटी रिपोर्ट पर कभी चर्चा नहीं हुई।

श्री सुरज भान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कोई इरादा इंटरप्ट करने का नहीं था, इसलिए मैंने लेटर लिखा था। इस अजेन्डा को देखकर मुझ को नजर नहीं आता कि पेरूमल कमेटी रिपोर्ट और बाकी तीनों रिपोर्टों पर आज डिस्कशन हो सकेगा।

मेरा पहला निवेदन यह है कि अम्बल तो आप इसके लिए टाइम दीजिये, लेकिन अगर किसी कारण हाउस आज टाइम न दे सके, तो मेहरबानी करके आज डिस्कशन इनिशिएट करवा दीजिये ताकि अगले सेशन में डिस्कशन हो सके। 1967 में मिनिस्टर महोदय ने कहा

किया था कि कमिश्नर की रिपोर्ट पर हर साल डिस्कशन होगा। लेकिन तीन रिपोर्ट बाकी हैं, पेरूमल कमेटी रिपोर्ट जिसको तैयार करने में पूरे चार साल लगे एक साल से पड़ी है, लेकिन उस पर डिस्कशन नहीं हो सका।

मैं अब इस केस की थोड़ी सी तफसील बनलाना चाहता हूँ। पिछले साल 1 अप्रैल को एक हरिजन बच्चे को, जिसका नाम राधी मांगिया है, जिंदा जलाने के यत्न किया गया। यह आन्ध्र प्रदेश से ताल्लुक रखता है। इत्तफाक से वह लड़का शाम के समय सिनेमा देखने चला गया और वहाँ उसकी जेब कट गई। उस बच्चे को पता नहीं था कि उसकी जेब कट गई है। उसके बाद वह होटल खाना खाने चला गया। जब खाने के बाद पैसे देने लगा तो देखा कि उसकी जेब कट गई है। होटल के मालिक ने कहा कि पैसे दो। उसने कहा कि मेरा बहनोई फला नाम का है, उससे लाकर पैसे बेता हूँ। होटल के मालिक का नाम बिलासराव ऐडवोकेट है, होटल का नाम बसन्त विहार है और जगह का नाम खम्मम है, जो आन्ध्र प्रदेश में है। होटल के मैनेजर ने कहा कि तुम्हारा बहनोई तो हरिजन है। तो उस लड़के ने कहा कि मैं भी हरिजन हूँ। यह सुनते ही कि वह हरिजन है, उस बच्चे की पिटाई शुरू हो गई। मैं उस की तफसील में नहीं जाना चाहता। उस लड़के को पकड़कर चौबारे में बन्द करके जो होटल की दूसरी स्टोरी में है, ताला लगा दिया गया। रात भर उसको बन्द रक्खा गया। उस बच्चे ने कोशिश करने के बाद खिड़की की दो तीन सलाखें तोड़ीं और सुबह के करीब बाहर छलांग लगाई। लेकिन बदकिस्मती से खिड़की होटल के कम्पाउंड में खुलती थी। ज्यों ही बाहर गिरा, होटल के नौकरों ने उसको पकड़ लिया और मालिक के पास ले गये। मालिक ने यह देखते हुए कि उसने भागने की कोशिश की है, उसकी धोती निकाल कर उसके दोनों हाथों को पीछे बांधकर उस पर मिट्टी का तेल

[श्री सूरज भान]

छिड़का और धाग लगा दी। उसके बाद उसकी कमर तो जली ही दोनों हाथ भी जल गये सब से अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। उसको हास्पिटल में दाखिल किया गया। उसकी हालत यह है कि उसका दायां हाथ जलने के कारण काट दिया गया, बायें हाथ की उंगलियां और भ्रंगूठा जल गये हैं मैं सदन की इत्तला के लिए आपकी इजाजत से इस हरिजन बच्चे के फोटो को टेबल पर रखना चाहता हूँ। (व्यवधान)

इसके भलावा मैं माँग करना चाहता हूँ कि होटल के मालिक के खिलाफ, जिसका मैंने नाम बतलाया है, और वहाँ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फाशित अली के खिलाफ, जिन दोनों ने मिलकर पहली रिपोर्ट को जाया किया है और इस केस को दबाया है, ऐक्शन लिया जाये। दूसरी चीज यह कि इस किस्म के जो जुल्म होते हैं उनको चेक करने के लिए गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिये। तीसरी चीज में यह कहना चाहता हूँ कि वह गरीब लड़का नाकारा हो गया है, वह कुछ काम नहीं कर सकता, गवर्नमेंट उसके लिए कुछ न कुछ करे ताकि वह अपनी जिन्दगी गुजार सके।

इस वक्त तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, बाकी जब रिपोर्ट डिस्कशन के लिये आयेगी तब और धीधिलीग बतलाऊंगा।

MR. DEPUTY SPEAKER : I think the question is very serious and would like the Government to look into this matter and to see how best to ensure that these things do not happen in this country.

AN HON MEMBER : And adequate compensation for the people concerned should be given.

श्री श्रीम प्रकाश स्यागी (मुरादाबाद) : पूरा होम डिपार्टमेंट हरिजनों के हाथ में दे दिया

*The Speaker subsequently not having accorded the necessary permission the document was not treated as laid on the

जाना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक यह चीजें बन्द नहीं हो सकती हैं।

SHRI BUTA SINGH (Rupar) : He raised a very important discussion.

MR. DEPUTY SPEAKER : We have closed this.

SHRI BUTA SINGH : What I want to submit is this. We are very much thankful to you in that you have directed the Government to look into this thoroughly and see that the people responsible are punished properly. But one thing, Sir. He wanted discussion on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner's report...

MR. DEPUTY SPEAKER : It is on the Agenda ; but I don't think we will be coming to that.

SHRI BUTA SINGH : This is a very extraordinary and distressing thing. The Government has treated this in a casual manner

MR. DEPUTY SPEAKER : If you allow us to save the time of the House we may perhaps be able to take it up today.

श्री मोलहू प्रसाद (बाँसगाँव) : इस पर पाँच घंटे रखे गये हैं। लेकिन उसके पहले और भी चीजें बीच में रख ली गई हैं। ऐसी हालत में इस पर चर्चा कैसे हो सकती है? इसके बीच में मद्य निषेध लाकर घुसेड़ दिया गया, साम्प्रदायिकता को घुसेड़ दिया गया। इसलिये या तो इसकी चर्चा को आज लेकर अगले सत्र तक चलने दिया जाय, या फिर आज ही पाँच घंटे दिये जायें।

SHRI BUTA SINGH : Let the House take it up. I know we cannot finish it. Let it be just taken up today and let it be carried over to the next Session so that we do justice to the subject.

MR. DEPUTY SPEAKER : The best accorded the necessary permission the Table.

way to ensure this is to be businesslike so that we may be able to reach it today.

SHRI BUTA SINGH : Today is the last day of the session ; that is why I am making this appeal.

MR. DEPUTY SPEAKER : Let us make an effort to touch it today.

SHRI BUTA SINGH : Not less than 8 hours should be devoted to this Report.

श्री मोलहू प्रसाद : राज सभा का समय बढ़ गया है। या तो आप इसको आज खत्म करें देर तक बैठकर या फिर कल और बैठें।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : ला मिनिस्टर बैठे हुए हैं। अफसोस की बात है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स की जो रिपोर्टें हैं उनकी यह गति हो रही है। जब यहां इस प्रकार का दुर्व्यवहार आप कर रहे हैं तो बाहर जो दुर्व्यवहार होता है उसको आप कैसे रोकेंगे? आन्ध्र प्रदेश की माननीय सदस्य ने बात बताई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यही गति हरिजनों की हो रही है। किसके यहाँ अपील की जाये? यह गवर्नमेंट रिपोर्ट पर चर्चा तक करना नहीं चाहती है। वहाँ हमको पिटवाया जा रहा है। आप प्राप्रेसिब होने का दावा करते हैं। कहां हैं जगजीवन राम जी? आज हम उनसे पूछना चाहते हैं इसके बारे में। हरिजन पिटते हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है। जो दर्दनाक कहानी इन्होंने सुनाई है उससे कान में शीशा पिघला कर डालने वाली बात याद हो आती है। वही चीज रिपीट हो रही है। यह खतरनाक चीज है। मैं अपील करता हूँ कि या तो हाउस का टाइम आप एक्सटेंड करो, बारह बजे रात तक बैठें और रिपोर्ट पर बहस करो, वरना कल को बैठें।

श्री रामचरण (खुर्जा) : सारे भारत में इस तरह की घटनायें घट रही हैं। हिन्दू मुसलमान झगड़ा हो जाता है तो छः छः दिन बहस चलती है, शराब बन्दी की बात आती है तो बहस लम्बी जाती है लेकिन जब हरीजनों

का मसला आता है तब सरकार उसको टरकाती चली जाती है। या तो आप कल भी बैठें या आज रात बारह बजे तक बैठें और रिपोर्ट को डिसकम करें। आप ने केवल पांच घंटे इसके लिए रखे हैं। पांच घंटे तो एक रिपोर्ट पर बहस करने के लिए चाहिये थे। यहां तीन रिपोर्ट हैं और पेरुमल कमेटी की चौथी रिपोर्ट है। कम से कम 21 घंटे का समय तो आपको देना चाहिये। अब जबकि आपने पांच घंटे दिये हैं तो आप ऐसी व्यवस्था तो करें कि इस पर बहस हो और पांच घंटे इसको मिलें। ऐसा न हो कि इसको भगले सेशन के लिए टाल दिया जाए।

SHRI S. M. BANERJEE : Mr. Deputy Speaker, Sir, these matters should be discussed—one is about the promise made by the Prime Minister that the Pay Commission which has been appointed will include a labour representative provided that the labour organisations are unanimous on a particular name.

Sir, it is most surprising to note from to day's *Statesman* wherein it has been stated that 'This is because the Government feels that the Commission, which held its first meeting to-day, is an expert body and not an arbitration board on which different interests are represented.

"Also, it is felt that one of the members of the Commission, Dr. V. R. Pillai, a former professor of economics, is an expert on labour problems. Dr. Pillai has served on several wage boards and has written several books and papers on labour problems."

This is absolutely wrong. We want a labour representative to be there. You will also kindly read the news. It says :

"The question of interim relief on account of increased cost of living has also been included in the terms of reference of the Commission."

I want to say that there were amendments by Shri Atal Bihari Vajpayee and there were other amendments too and the entire House voted for the amendments of the Opposition Members. We want to know from the hon. Prime Minister as to why the interim relief question has been referred to the Commission at all,